बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

आदेश

पटना, दिनांक 07.01.2026

संख्या–08/अपील–19–07/2023–17/ CWJC No- 7068/2025 सोहैबुन खानम बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 29.04.2025 को पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में श्रीमती सोहैबुन खानम, बर्खास्त सहायक शिक्षिका, राजकीय बुनियादी विद्यालय, बिमवा, जगदीशपुर, भोजपुर (आरा) द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

श्रीमती खानम के अपील अभ्यावेदन पर विचार करते हुए उक्त मामले की सुनवाई दिनांक 13.01.2026 को अपराहन् 04:00 बजे निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के कार्यालय कक्ष में निर्धारित है।

(उर्मिला कुमारी)
उप निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक:- 08/अपील–19–07/2023–17/ पटना, दिनांक 07.01.2026

प्रतिलिपि:– निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/श्रीमती सोहैबुन खानम, बर्खास्त सहायक शिक्षिका, राजकीय बुनियादी विद्यालय, बिमवा, जगदीशपुर, भोजपुर (आरा), आवासीय पता–सोहैबुन खानम, पति–मसीहुजमन खान, वार्ड नं0–16, पूरब मोहल्ला, गाँव–जगदीशपुर, पोस्ट–जगदीशपुर, थाना–जगदीशपुर, जिला–भोजपुर (आरा) को निदेश है कि वे उक्त निर्धारित तिथि/समय को निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगी।

2. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना/जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना को अनुरोध है कि संबंधित प्रतिवेदन के साथ उक्त निर्धारित तिथि/समय को VC के माध्यम से सुनवाई में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे, VC का लिंक उन्हें सुनवाई से पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा।

3. आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

उप निदेशक, प्राथमिक शिक्षा